न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 58/16

1. बीरबलराम पुत्र श्री पेमाराम जाति कुम्हार निवासी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम —वादी

1. जेता देवी पत्नी पेमाराम जाति कुम्हार निवासी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)

1/1 बीरबलराम पुत्र श्री पेमाराम जाति कुम्हार निवासी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

1/2 रामकुमार पुत्र किशनलाल जाति कुम्हार निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़।

1/3 ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति कुम्हार निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़।

1/4 माया देवी पत्नी कलवंतराम पुत्री किशनलाल जाति कुम्हार निवासी अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)

1/4/1 कलवंत पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार निवासी अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

1/5 सावित्री देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्री किशनलाल जाति कुम्हार निवासी अनूपगढ़

1/6 दौलतराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

1/7 गणेशाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

1/8 हनुमान पुत्र श्री पेमाराम जाति कुम्हार निवासी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)

1/8/1 राधा देवी पत्नी हनुमान जाति कुम्हार निवासी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर

1/8/2 सोहन लाल पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर

1/8/3 ताराचन्द पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर

1/9 रामप्यारी पुत्री पेमाराम पत्नी सुल्तान जाति कुम्हार निवासी 11 एसजेएम तहसील अनूपगढ़

1/10 दुर्गादेवी पुत्री पेमाराम पत्नी आईदान

1/11 तुलछी देवी पुत्री पेमाराम पत्नी इन्द्राज जाति कुम्हार निवासी हाथियावाली तहसील सादुलशहर

1/12 विद्यादेवी पुत्री पेमाराम पत्नी हजारीराम जाति कुम्हार निवासी खाटां तहसील रायसिंहनगर

1/13. चन्दो देवी पुत्री पेमाराम पत्नी गोरधन जाति कुम्हार निवासी खाटां तहसील रायसिंहनगर

2. किशनलाल पुत्र पेमाराम (मृतक)

2/1 रामकुमार पुत्र किशनलाल

2/2 ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति कुम्हार निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़

2/3 माया देवी पत्नी कलवन्तराम पुत्री किशनलाल जाति कुम्हार निवासी अनुपगढ़ (मृतक)

2/3/1 कलवंतराम पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार निवासी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2/4 सावित्री देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्री किशनलाल जाति कुम्हार निवासी अनुपगढ़

3. दौलतराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी सलेमपुरा तहसील अनुपगढ।

4. गणेशाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर

5. हनुमान पुत्र श्री पेमाराम जाति कुम्हार निवासी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर(मृतक)

5/1 राधा देवी पत्नी हनुमान

5/2 सोहनलाल

5/3 ताराचन्द पिसरान हनुमान जाति कुम्हार निवासी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर।

5/4 रामप्यारी पुत्री पेमाराम पत्नी सुल्तान जाति कुम्हार निवासी 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ़

राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

7. दुर्गादेवी पुत्री पेमाराम पत्नी आईदान
8. तुलछी देवी पुत्री पेमाराम पत्नी इन्द्राज जाति कुम्हार निवासी हाथियावाली तहसील सादुलशहर।
9. विद्यादेवी पुत्री पेमाराम पत्नी हजारीराम जाति कुम्हार निवासी 82 आरबी
10. चन्दो देवी पुत्री पेमाराम पत्नी गोरधनराम जाति कुम्हार निवासी खाटां तहसील रायसिंहनगर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—92ए—188 राज.काश्त.अधिनियम

उपस्थितिः—

1. श्री अजय तनेजा वकील वादी
2. श्री राजीव जग्गा वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः— 27-11-19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88—92ए—188 राज.काश्त.अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य थे। संयुक्त परिवार में रहते हुए वादी के पिता व परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा चक 84 आरबी व लखाटिब्बा में कृषि भूमि अर्जित की थी। वादी एवं प्रतिवादी का परिवार बडा होने लगा व रकबा काश्त करने में पक्षकारों को परेशानी होने लगी। इसलिए उक्त अर्जित की गई भूमि का बंटवारा किया जाकर चक 84 आरबी की भूमि सभी भाईयों द्वारा बहिब बांटी जाकर उसका राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के देहान्त बाद अपने—अपने नाम से करवा लिया था। लखाटिब्बा के मु.नं. 187 के 25.00 बीघा भूमि मुझ वादी वा दौलतराम तथा किशनलाल के नाम टीसी पर आवंटन थी। मु.नं. 25 की भूमि दौलतराम व मुझ वादी के नाम टीसी पर आवंटन थी। हम पक्षकारान के मध्य बंटवारा हुआ था। जिसके अनुसार लखाटिब्बा का मु.नं. 25 के कि.नं. 1 ता 13 की 3.162 है0 भूमि बंटवारा में प्रतिवादी हनुमान, गणेशाराम पि0 पेमाराम प्राप्त होने पर उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन इनके नाम हो गया तथा मु.नं. 187 की 25 बीघा भूमि में से 1.772 है0 बारानी भूमि प्रतिवादी किशन लाल को बंटवारा में दी गई। इस प्रकार लखाटिब्बा की भूमि में किशनलाल, हनुमान, गणेशाराम का हक व हिस्सा पुरा कर दिया। मु.नं. 187 की शेष 4.163 है0 बारानी भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी दौलतराम की थी। जिसको हमने अपनी माता प्रतिवादी सं. 1 जैतादेवी के नाम रिकार्ड दर्ज करवा दी। हमारी माता जैतादेवी तत्समय हमारे पास ही रह रही थी। परन्तु उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त लगातार हमारा ही रहा है। उपरोक्त 4.163 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है। जो मुझ वादी व प्रतिवादी दौलतराम के हक व हिस्सा का है। बंटवारा अनुसार हमारे हिस्से में आया है व कब्जा काश्त हमारा ही है। अतः लखाटिब्बा के मु.नं. 187 पं.नं. 259/275 की 4.163 है0 बारानी खातेदारी भूमि में वादी व प्रतिवादी दौलतराम का बहिब हक व हिस्सा घोषित फरमाया जाकर हक घोषणा की डिक्री सादिर फरमायी जावे व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं या उनका कोई हितबद्ध व्यक्ति वादी के कब्जा काश्त की भूमि वाके चक लखाटिब्बा तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 164 मु.नं. 259/275 की 4.163 है0 बारानी खातेदारी भूमि को किसी प्रकार से किसी अन्य को हस्तान्तरण रहन वा बैय करने से बाज व ममनू रहे वा उसमें मदाखलत बेजा नही करने वा ऐसा कोई कृत्य नही करें जिससे उक्त भूमि में वादी अपने हक एवं हिस्सा की भूमि से वंचित व बेदखल होता हो।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2/1, 2/2, 4, 5, 7 ता 10 बावजूद तामिल के उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 22.01.19 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाने के आदेश दिये गये। शेष

राजेन्द्र सिंह
उप अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजीव जग्गा अधिवक्तागण द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर इकबाल जवाब दावा पेश किया गया। स्टेट की ओर से राजपैरोकार द्वारा दिनांक 23.04.19 को जवाब स्टेट पेश किया गया। प्रकरण में इकबाल जवाब दावा एवं सहमति होने के कारण तनकी कायम नही की गई। वकील वादी द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र बीरबल राम का पेश किया गया एवं प्रदर्श–1 से 7 जमाबन्दी करवाई गई एवं प्रदर्श–8 से 14 ओ–14 करवाये गये। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 जैता देवी का देहान्त हो चुका है। जिनके विधिक वारिसान वादी व प्रतिवादीगण समस्त है। भूमि जैता देवी प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उसका खातेदार वादी व प्रतिवादी सं. 3 को बहिब घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के रकबा पर कब्जा काश्त संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादी सं. 3 दौलतराम का ही है। हम प्रतिवादीगण उपरोक्त रकबा पर कोई हक व हिस्सा प्राप्त नही करना चाहते है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम से उपरोक्त रकबा बहिब खातेदार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादी सहमत है।

उभय पक्ष के वकीलो की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि लखाटिब्बा के पं.नं. 259/275 की 4.163 है0 बारानी खातेदारी भूमि में मुझ वादी व प्रतिवादी दौलतराम का बहिब हक व हिस्सा घोषित फरमाया जाकर। हक घोषण की डिक्री सादिर फरमाई जावे। वकील प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 जैता देवी के नाम से अंकित 4.163 है0 भूमि पर वादी बीरबल राम व प्रतिवादी दौलतराम का ही कब्जा काश्त है। अगर उपरोक्त रकबा में उनको बहिब खातेदारी घोषित किया जाता है एवं इसी आश्य की डिक्री की जाती है तो हमें कोई एतराज नही है। हम इस भूमि में कोई हिस्सा लेना नही चाहते है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर दावा में चाहे गये अनुतोष अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 3 दौलतराम को प्रतिवादी जैता देवी के नाम दर्ज भूमि लखाटिब्बा के खाता सं. 164 मु.नं. 187 पं.नं. 259/275 की 4.163 है0 बारानी खातेदारी भूमि में बहिब हक व हिस्सा घोषित फरमाया जाकर हक घोषणा की डिक्री सादिर फरमायी जावे। प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 चक लखाटिब्बा के पं.नं. 259/275 मु.नं. 187 की 4.163 है0 बारानी भूमि जैता पत्नी पेमाराम जाति कुम्हार साकिन लखाहाकम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 जैता देवी के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि चक लखाटिब्बा के खाता सं. 164 मु.नं. 187 पं.नं. 259/275 की 4.163 है0 बारानी खातेदारी भूमि में वादी बीरबलराम पुत्र पेमाराम एवं प्रतिवादी दौलतराम पुत्र पेमाराम को बहिब खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-11-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.11 12:48:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: